प्रेस नोट दिनाँक 21.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लवकेश निषाद पुत्र चुनवाद निषाद निवासी लुसरिया थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

बरामदगीः-

30 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
3. मुख्य आरक्षी शौकत खां
2. आरक्षी शिवम गुप्ता

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेचु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी कृष्ण कुमार द्वारा मु0अ0स0 93/22 धारा 376/452/504/506/323 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त कल्लू यादव पुत्र मइयादीन यादव निवासी बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कया गया।

(ख). उ0नि0 श्री सुबेदार बिन्द थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी जितेन्द्र मौर्य द्वारा मु0अ0सं0 125/22 धारा 308/323//504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त छुटकू निषाद पुत्र बिहारी केवट निवासी सिरावलमाफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार कया गया।

(3). आज दिनांक 21.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(4). दिनाँक-21.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(5). दिनांक 20.07.2022 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

(1). आईजीआरएस से सम्बन्धित लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र करायें।

(2). थानास्तर पर सीसीटीएनएस के अनुसार लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर, सभी को निर्देश दिये गये कि लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करे।

(3). प्रतिदिन कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई कर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराये।

(4). वर्कआउट हेतु शेष मुकदमों में शीघ्र वर्कआउट करें।

(5). वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

(6). कावड़ मेला के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित निर्देश दिये गये।

(7) जघन्य अपराध के अनावरण एवं थानों में लम्बित विवेचना का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये।

(8). अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये।

(9). महिला सम्बन्धी अपराध का शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये।

(10). मिशन शक्ति अभियान के तहत एण्टी रोमियो टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(11). प्रतिदिन सायंकालीन पैदल गस्त के साथ-साथ दो पहिया पर बिना हेलमेट/शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मासिक अपराध गोष्ठी में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर, श्री एस0पी0 सोनकर क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री हर्ष पांडेय, , क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार, एआरटीओ0, एस0पी0ओ0, डी0जी0सी0, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो, प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी मॉनीटरिंग/डीसीआरबी, प्रभारी एलआईयू, प्रभारी यातायात, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री संतराम सिंह, श्री कमलेश कुमार राव स्टेनो पुलिस अधीक्षक, श्री आलोक सिंह प्रधान लिपिक पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं विक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री गिरेंन्द्र सिंह व हमराह आरक्षी राजीव कुमार , पंकज परिहार के द्वारा अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय अहिरवार निवासी पनगना थाना नरैनी जिला बांदा हाल पता इंदिरा नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 82/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>अभियुक्त श्यामबाबू का अपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 102/21 धारा 332/353/336/504/506 आईपीसी
2. एनसीआर नंबर 74/21 धारा 323/504/506 आईपीसी
3. मु0अ0सं0 82/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

<u>बरामदगीः-</u>

01 किलो 500

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री गिरेंन्द्र सिंह
2. आरक्षी राजीव कुमार
3.आरक्षी पंकज परिहार

(7). आज दिनांक 21/7/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पांडेय के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा बाँदा रोड स्थित सी0पी0 सिंह विद्यालय एवं सेंट थॉमस स्कूल बेड़ीपुलिया में स्कूल में चल रहे वाहनों की फिटनेस, बीमा प्रदूषण एवं वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान जिन वाहनों में सुरक्षा जालियाँ नही लगी थी उनमे लगवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। वाहनों में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स चैक किया गया एवं फायर सिलेंडर की वैधता को देखते हुए उनको चला कर देखा गया। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों को लाने एवं ले जाने तथा उतारते-चढ़ाते, रोड क्रॉस करवाते समय सड़क के किनारे खड़ी करे एवं निर्धारित सीट अनुसार बच्चों को बैठाए क्षमता से अधिक न बैठाए। सतर्कतापूर्वक ध्यान देने एवं धीमी गति से वाहन चलाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन चालकों को समय-समय पर आंखों का चेकअप कराने हेतु भी बताया गया।
इसके पश्चात यातायात प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरलोड सवारी, प्रेशर हॉर्न ओवर स्पीड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की चेकिंग की गयी। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल/हेडफोन का प्रयोग न करने, धीमी गति से वाहन चलाने, वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करने हेतु बताया गया। स्कूली वाहन चालकों को निर्धारित सीट अनुसार बच्चे बैठालने एवं धीमी गति व सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने हेतु निर्देश दिये गये। ई-रिक्था चालकों को निर्देश दिये गये कि ओवरलोड सवारी न बैठाये निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग करें तथा सवारी बैठालते एवं उतारते समय सड़क के किनारे खड़ा करें। वाहन चालकों को यातायात नियमों को पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान नो एंट्री का उल्लंघन करने पर 01 ट्रक को सीज किया गया तथा बस स्टैंड कर्वी में अवैध पार्किंग में खड़ी 04 टेम्पों को सीज किया गया।